

ग्राम मकौडा, परगना दनकौर, तहसील-सदर, जिला गौतमबुद्धनगर की अर्जित भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में अद्यतन स्थिति

1.	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) / 17 की अधिसूचना की तिथि व क्षेत्रफल-	12.03.2008 (205.0282 हे०)
2.	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6/17 की घोषणा की तिथि व क्षेत्रफल-	19.11.2008 (202.4983 हे०)
3.	कब्जा हरतान्तरण की तिथि व क्षेत्रफल-	16.02.2009 (199.3564 हे०)
4.	प्रतिकर की दर	850.00 प्रति वर्ग मी०।
5.	अर्जन के रागय कृषकों की संख्या-	370
6.	प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर वितरण हेतु प्रेषित कुल धनराशि-	172.48 करोड़
7.	वर्तमान तक वितरित धनराशि-	163.43 करोड़
8.	प्रतिकर प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल-	192.4098 हे० (96.51%)
9.	प्रतिकर अप्राप्त अवशेष भूमि का क्षेत्रफल-	6.9466 हे० (3.49%)
10.	आबादी व्यवस्थापन के अन्तर्गत प्रस्तावित खसरा संख्या तथा क्षेत्रफल-	5.0971 हे० लगभग खसरा संख्या 70 में 421 वर्ग मी०, 251 में 3000 वर्ग मी०, 59 में 3000 वर्ग मी०, 245 में 3000 वर्ग मी०, 53 में 2182 वर्ग मी०, 354 में 421 वर्ग मी०, 252 में 2517 वर्ग मी०, 250 में 3000 वर्ग मी०, 241 में 17009 वर्ग मी०, 249 में 3000 वर्ग मी०, 340 में 410 वर्ग मी०, 356 में 2590 वर्ग मी०, 351 में 1599 वर्ग मी०, 14 में 3000 वर्ग मी०, 77 में 3000 वर्ग मी०, 339 में 885 वर्ग मी०, 91 व 320 में 3000 वर्ग मी०, 17 में 3000 वर्ग मी०, 236 में 2347 वर्ग मी०, 397 में 3000 वर्ग मी०, 100 में 670 वर्ग मी०, 358 में 2500 वर्ग मी०, 15 में 348 वर्ग मी०, 248 में 3000 वर्ग मी०, 99 में 680 वर्ग मी०, 106 में 1908 वर्ग मी०, 333 में 2406 वर्ग मी०, 184 में 4000 वर्ग मी०, 336 में 4000 वर्ग मी०, 60 में 4000 वर्ग मी०, 334 में 4000 वर्ग मी०, 58 में 817 वर्ग मी०, 300 में 4000 वर्ग मी०, 395 में 4000 वर्ग मी०, 353 में 4000 वर्ग मी०, 397 में 4000 वर्ग मी०, 394 में 4255 वर्ग मी० (रिट याचिका वापस लेने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने की दशा में), 435 में 359 वर्ग मी० (रिट याचिका वापस लेने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने की दशा में), 94 में 1935 वर्ग मी० (रिट याचिका वापस लेने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने की दशा में) व 117 में 1910 (रिट याचिका वापस लेने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने की दशा में)
11.	आबादी व्यवस्थापन हेतु रवीकृति भूमि में से पट्टा प्रलेख किया जा चुका क्षेत्रफल-	1.6000 हे० लगभग खसरा संख्या 251 में 3000 वर्ग मी०, 250 में 3000 वर्ग मी०, 249 में 3000 वर्ग मी०, 248 में 3000 वर्ग मी० व 184 में 4000 वर्ग मी०।

2024

37

उक्त अर्जित भूमि के संबंध में ग्राम मकौड़ा के राधेश्याम व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 64127/2008, राधेश्याम व अन्य प्रति उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 64127/2008, राधेश्याम व अन्य प्रति उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रस्तुत कर याचीगण द्वारा निम्न अभ्यर्थना की गयी थी-

- (a) Issue writ of mandamus declaring the Notification No 660/77-3-08Arjan/08 Lucknow dt. 12th March, 2008 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter referred to as "the Act") and Notification No. 2913/77-3-08Arjan/08 Dated 19th November, 2008 under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the Petitioner's land falling in Khasra Nos. 101, 394 and 399 having land admeasuring 1.2630, 0.4260 and 1.4540 hectares in the revenue estate of village Makaura, Pargana-Dadri, Tehsil-Sadar, Distt- Gautam Budh Nagar, U.P. published in daily daink Jagran of 27th November, 2008 suffer from malafide and are issued/ made without application of mind and in abuse and excess of authority and power, apart from being violative of Article 14, 19 and 300-A of the Constitution of India.
- (b) Issue writ of certiorari declaring that entire acquisition proceedings in respect of the petitioner's land falling in Khasra Nos 101, 394 and 399 having and admeasuring 1.2630, 0.4260 and 1.4540 hectares in the revenue estate of village Makaura, Pargana-Dadri, Tehsil-Sadar, Distt- Gautam Budh Nagar, U.P. are void and of no legal effect being a fraud on the land acquisition act and the Constitution of India and the fraud is practiced by the respondents by dispensing the enquiry under section 5-A of the act without being their and urgency and without application of mind.
- (c) Issue a writ of mandamus direction the respondents to release the land acquired by the impugned notification falling in Khasra No. 394 having land admeasuring 0.4260 Hectre in the revenue estate of village Makaura, Pargana-Dadri, Tehsil-Sadar, Distt- Gautam Budh Nagar, U.P.
- (d) Issue writ of mandamus direction the respondents not to, in any manner whatsoever, interfere with the peaceful enjoyment and possession of the said lands and structures built and houses standing thereon falling in Khasra Nos. 101, 394 and 399 having land admeasuring 1.2630, 0.4260 and 1.4540 hectares in the revenue estate of village Makaura, Pargana-Dadri, Tehsil-Sadar, Distt- Gautam Budh Nagar, U.P.
- (e) Call for the entire records of acquisition proceedings from the office of concerned Respondents and after examination of the records to quash the acquisition proceedings.
- (f) Award costs in favour of the Petitioner and
- (g) Pass such other order, direction, writ, declaration as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को आदेश दिनांक 15.12.2008 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा अपील संख्या-601/2009 (सिविल अपील संख्या-3261/2011) प्रस्तुत की गयी थी, जिसे स्वीकार करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2011 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है-

"In the result, the appeal is allowed. The impugned order is set aside and the writ petition filed by the appellants is allowed. Respondent No.1 is directed to pay cost of Rs. 5,00,000/- to the appellants for forcing unwarranted litigation on them. It is, however, made clear that the respondents shall be free to proceed from the stage of Section 4 notification and take appropriate action after complying with Section 5-A(1) and (2) of the Act. It is needless to say if the appellants' feel aggrieved by the fresh exercise undertaken by the State Government then they shall be free to avail appropriate legal remedy."

इस आदेश के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थना पत्र संख्या-आई.ए.-1/2014 निरस्त होने के उपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का सही निष्कर्ष न निकालते हुए अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर द्वारा यह मानते हुए कि मा0 उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से ग्राम मकौड़ा में अर्जन हेतु जारी समस्त भूमि की अधिसूचना/घोषणा निरस्त कर दी गयी है, कृषकों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण विधि प्रतिकूल तथा गलत अवधारणा पर

आधारित था। संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा विधिक स्थिति से अवगत कराने पर अपर जिलाधिकारी (मू0अ0), गौतमबुद्धनगर द्वारा इसका परीक्षण करते हुये अर्जन निकाय/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम अंकित कर दिया, जिसमें से श्री धमेन्द्र कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-8268/2016, धमेन्द्र कुमार प्रति उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। अपर जिलाधिकारी (मू0अ0), गौतमबुद्धनगर द्वारा की गयी कार्यवाही को एकपक्षीय मानते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु आदेश दिनांक 11.07.2016 पारित किया गया।

रिट याचिका संख्या-8268/2016, धमेन्द्र कुमार प्रति उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2016 के क्रम में याची धमेन्द्र कुमार द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 22.07.2016 को प्रस्तुत किया गया। इस आदेश के आलोक में ग्राम के अन्य कृषकों द्वारा भी पृथक-पृथक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रत्यावेदन को दिनांक 11.11.2016 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निस्तारित करते हुए निम्न टिप्पणी सहित प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था:-

‘उपरोक्त वादी द्वारा दिये गये तथ्यों तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी (मू0अ0) ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या व तर्कों के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर कृषकों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने से पूर्व प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन का मन्तव्य प्राप्त किया जाना उचित है। वह शासन के न्याय विभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करने के विचारोपरान्त शासन के मार्गदर्शन एवं मन्तव्य के आधार पर तहसीलदार सदर संबंधित कृषकों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करें।’

उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट सी.न0-8268/2016, धमेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के अनुपालन में राजस्व ग्राम मकौडा में अर्जित भूमि से प्रभावित कृषकगण के प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।’

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 के पश्चात श्री धमेन्द्र कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना रिट याचिका संख्या-5203/2016, धमेन्द्र कुमार प्रति श्री नगेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर प्रस्तुत की गयी। उक्त अवमानना रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2016 को निम्न आदेश पारित किये गये-

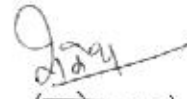
‘Heard learned counsel for applicant and perused the record. The application is allowed. In the order dated 6.10.2016, the date of personal service of the certified copy of the order in the office of the opposite party on "7.1.2016" is substituted by "21.7.2016" in the 2nd paragraph of the order itself. This order shall form part and parcel of order dated 6.10.2016. Application is disposed of.’

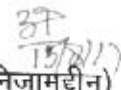
मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 08.12.2016 को विवादित भूमि पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नाम निरस्त करते हुए याची का नाम इस प्रतिबन्ध के अधीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिये गये कि यह आदेश शासन/न्याय विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के अधीन होगा।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा पत्र संख्या 636/77-3 16-148रिट/16, दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण आपके स्तर पर परीक्षण कर किया जाना है, जिसमें शासन के मार्गदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। कृपया तदनुसार तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

शासन से प्राप्त उक्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्र संख्या-2705, दिनांक 28.07.2017 द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, औद्योगिक अनुभाग-3, लखनऊ को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में उनके पूर्वाधिकारी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 08.12.2016 को आदेश पारित कर तथा आदेश का पालन कराकर मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसी प्रत्यावेदन पर आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरुद्ध प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


(राकेश चन्द्र)
सर्वे अमीन


(निजामुद्दीन)
विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर
कब्जा/अधिकार-पत्र

- 1- राजस्व ग्राम का नाम : मकोड़ा
- 2- परगना, तहसील एवं जिला : दादरी, सदर, जयपद गौतमबुद्धनगर ।
- 3- अर्जन निकाय का नाम : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर ।
- 4- योजना का नाम : ग्रेटर नोएडा के सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु ।
- 5- घास 4/17 की विज्ञप्ति : 600-77-3-2008-83अर्जन-08 दिनांक 12 मार्च 2008
- 6- घास 6/17 की विज्ञप्ति : सं0 2913/77-3-2008-83अर्जन/08 दिनांक 19 नवम्बर 2008
- 7- कब्जा परिवर्तन का दिनांक : 16-02-2009

(मनमोहन चौधरी)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),
गौतमबुद्ध नगर।

उपरोक्त विज्ञप्ति में सम्मिलित ग्राम मकोड़ा तहसील- सदर की भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है का कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/ अर्जन निकाय ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में
मकोड़ा	1	0.3483
	2	2.1537
	5	1.3013
	7	0.0126
	9	1.1033
	10	0.6487
	12	1.5258
	14 नि0	0.8299
	15	0.0348
	17 नि0	0.9978
	24	1.5144
	25	0.1954
	26	0.5912
	28	1.9797
	30	0.6025
	31	0.2636

33	0.0467
34	0.0467
35	0.0467
36	0.0467
37	0.0467
38	0.1055
39	0.0765
42	0.5279
43	0.1657
44	2.6310
46	0.6221
47	0.4128
48	0.5399
49	0.5690
50	0.5538
53 मि०	0.2182
58 मि०	0.0817
59 मि०	1.5531
60 मि०	2.3028
63	0.1985
64	0.1979
65	0.1979
66	0.5931
69	1.6839
70	1.2994
72 मि०	0.9844
75	2.2617
77	1.8817
78 मि०	0.6170
79	0.6878
80	0.9706
81	0.2877
84	1.3145
85	0.4830
86	0.4546
87	0.4387
88	0.4324
89	0.5045
90	0.6060
91	0.8745
92	0.1455
96	0.0563
99	0.0680
100	0.0670

5-10

for

Ref

24

102	0.9674
105	1.8425
106	2.1163
109	4.8511
111	0.9124
115	1.3777
116	0.8094
117	0.2655
119	0.8637
120	0.9864
123	1.5814
124	7.3825
126	0.2428
127	0.2428
128	1.0376
130	1.2791
132	0.6297
133	0.6297
136	0.3717
137	0.3711
138	0.2523
139	0.0910
140	0.0910
141	0.0890
142	0.3819
145	0.3800
146	0.7461
147	0.3445
149	0.3908
150	0.4293
151	0.2143
152	0.0410
153	0.5778
154	0.0417
155	0.0423
156	0.0429
157	0.0436
158	0.5178
162	0.3851
163	0.7271
165	0.2261
166	0.2261
167	0.5027
172	0.3851

Res

Ref

Ref

173	0.4365
174	0.4717
175	1.1780
179	2.1562
180	0.9383
181	0.4685
183	0.9048
184	0.4945
186	0.4717
190	1.7598
195	2.4863
197	1.3759
198	1.1590
201	1.2247
204	0.5987
205	1.3797
206	0.3130
207	0.0588
208	0.0429
209	0.0442
210	0.0474
211	0.0480
212	0.0480
216	0.3142
217	0.3162
218	0.0126
220	0.9446
221	1.9323
222	0.6392
223	0.2226
224	0.3301
226	0.7736
229	1.0199
230	0.7828
231	1.0250
236 Pro	0.4577
241 Pro	0.1918
245	0.6532
248	0.3535
249	0.3515
250 Pro	0.3142
251	0.3655
252 Pro	1.0833
255	1.0263

Se

Ref

eq

256	0.4970
258	0.5475
259	0.8998
262	0.6311
264	0.6417
266	0.2264
267	0.2264
268	0.2264
269	0.2756
270	0.2820
271	0.2105
273	4.7664
274	3.5473
276	1.3468
277	1.8008
279	0.6133
280	0.2276
282	0.0132
283	0.0132
285	0.2578
286	0.0448
287	0.0746
288	0.0727
289	0.0727
292	2.1568
294	0.9187
295 मि०	1.1009
299	2.3840
300 मि०	3.1141
303 मि०	1.5687
320 मि०	0.4067
333 मि०	0.2406
334	0.9693
336	1.4853
339	0.0885
340	0.0410
351	0.1599
353	2.2586
354	1.5448
356	2.1891
357	0.8915
358	0.4328
359	0.0367
360	0.0429

for

Ref

23

361	0.0474
364	1.0971
365 fig	2.2541
366	0.1657
368	1.4746
369	0.2605
370	0.1366
371	0.1207
372	0.0588
373	0.0682
374	0.0682
375	0.0682
378	6.2248
379	0.7936
380	0.2636
381	0.2643
382	0.2643
383	0.2643
384	0.5696
386	0.5786
387	0.4932
389	2.5710
390	1.0534
395	1.2343
397	1.4657
398	0.4223
402	3.1604
404	2.4622
405	3.1850
408	0.3749
409	0.3749
410	0.2530
414	0.9965
416	0.8081
417	0.7821
418	2.5982
421	0.3464
422	0.1027
423	0.5361
424	0.5121
427	3.5486
429	0.5267
430	0.5823
433	0.6936

fer

W. J.

47

	434	0.6817
	437	1.8818
	439	3.6694
	योग	199.3564 ₹0

खसरा संख्या 101, 394, 399 के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस०एल०पी० संख्या- 601/2009 में पारित मा० न्यायालय के स्वगन्देश दिनांक 14.01.2009 के अनुपालन में इन खसरा नम्बरों का कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है। उक्त के अलावा भी वर्तमान में जिन खसरा नम्बरों पर मा० उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्वगन्देश प्रभावी है तो उनका कब्जा हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा।

नाम:-
पदनाम:-

(श्रीपाल सिंह)
सेवक अमीन

कब्जा प्राप्त
कर्ता के हस्ताक्षर

(रणवीर सिंह)
मा० तहसीलदार, ग्रै० नो०

(पी० प्रसाद)
तहसीलदार

(शैलेश चौधरी)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण

कब्जा प्रदान किया गया

(मनमोहन चौधरी)
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०),
गौतमबुद्ध नगर

राजस्व ग्राम मकौड़ा, परगना -दादरी, तहसील - सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव की सूची ।
(शासन आदेश संख्या 1678/एक-1/2004-1-1 (10)/ 2002-15-रा0-1 दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के अनुसार
ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 (1) खण्ड 4,5,6)

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है० में	विवरण
गौतमबुद्धनगर	दादरी	सदर	मकौड़ा			
				3	0.0537	नाली
				4	0.0253	नाली
				6	0.1707	नाली
				8	0.0132	नाली
				11	0.0246	नाली
				13	0.0120	नाली
				21	0.2276	सरता
				22	0.0759	नाली
				23	0.1536	नाली
				27	0.0429	चकरोड़
				29	0.0101	नाली
				40	0.0866	चकरोड़
				41	0.0385	नाली
				45	0.0455	नाली
				51	0.0392	चकमार्ग
				52	0.0164	नाली
				61	0.3420	मुख्यमार्ग
				62	0.0923	नाली
				67	0.0354	चकमार्ग
				68	0.0189	नाली
				71	0.0082	नाली
				73	0.0714	चकरोड़
				74	0.0303	नाली
				76	0.0278	नाली
				82	0.0904	चकमार्ग
				83	0.0404	नाली
				93	0.0253	नाली
				95	0.0632	नाली
				103	0.2339	मुख्य मार्ग
				104	0.0126	नाली
				107	0.0266	नाली
				108	0.0531	चकमार्ग
				110	0.0506	नाली
				112	0.0417	नाली
				113	0.0253	चकमार्ग

13

			114	0.0151	चकमार्ग
			118	0.3717	नाली
			121	0.0582	चकमार्ग
			122	0.0322	नाली
			125	0.0784	चकमार्ग
			129	0.0310	नाली
			131	0.0474	चकमार्ग
			134	0.0436	नाली
			135	0.0670	चकमार्ग
			143	0.0284	नाली
			144	0.0676	चकमार्ग
			148	0.0214	नाली
			159	0.0531	नाली
			160	0.0588	नाली
			161	0.0885	चकमार्ग
			164	0.0164	चकमार्ग
			168	0.0157	चकमार्ग
			169	0.0126	नाली
			170	0.0227	चकमार्ग
			171	0.0126	नाली
			176	0.0310	नाली
			178	0.0392	चकमार्ग
			182	0.1182	चकमार्ग
			185	0.0392	नाली
			188	0.0278	नाली
			189	0.0316	नाली
			191	0.0354	नाली
			192	0.0638	चकमार्ग
			193	0.0132	नाली
			194	0.0139	नाली
			196	0.0240	नाली
			199	0.0240	चकमार्ग
			200	0.0132	नाली
			202	0.0233	नाली
			203	0.0620	चकमार्ग
			213	0.0284	नाली
			214	0.0423	चकमार्ग
			215	0.0923	चकमार्ग
			225	0.1846	नाली
			227	0.0379	चकमार्ग
			228	0.0227	नाली






			233	0.0752	चकमार्ग
			234	0.0398	नाली
			235	0.0139	चकमार्ग
			246	0.0221	चकमार्ग
			247	0.0120	नाली
			253	0.0448	चकमार्ग
			254	0.3692	मुख्य मार्ग
			257	0.0240	चकमार्ग
			260	0.0227	नाली
			261	0.0467	चकमार्ग
			265	0.0506	चकमार्ग
			272	0.0278	चकमार्ग
			275	0.1922	चकमार्ग
			278	0.0797	चकमार्ग
			290	0.0436	चकमार्ग
			291	0.0866	चकमार्ग
			293	0.0214	चकमार्ग
			296	0.1125	चकमार्ग
			297	0.0613	नाली
			298	0.0120	नाली
			301	0.0341	चकमार्ग
			305	0.5185	रास्ता
			323	0.3414	रास्ता
			326	0.0582	मुख्यमार्ग
			337	0.0385	मुख्यमार्ग
			338	0.0044	चकमार्ग
			350	0.2130	मुख्य मार्ग
			352	0.0695	नाली
			355	0.0195	नाली
			362	0.1201	चकमार्ग
			363	0.0638	नाली
			367	0.0233	नाली
			376	0.0139	नाली
			377	0.0385	चकमार्ग
			388	0.0954	नाली
			391	0.0139	नाली
			392	0.5551	मुख्य मार्ग
			393	0.0120	नाली
			400	0.0183	नाली
			401	0.0208	चकमार्ग
			403	0.0233	नाली

By

for

J

22

has

			406	0.0404	कचमार्ग
			407	0.0120	नाली
			412	0.0297	नाली
			413	0.3199	मुख्य मार्ग
			415	0.0417	चकमार्ग
			419	0.0797	चकमार्ग
			420	0.0341	नाली
			425	0.0404	नाली
			426	0.0708	चकमार्ग
			431	0.1745	नाली
			432	0.0784	चकमार्ग
			438	0.0588	चकमार्ग
			440	0.0607	रास्ता
			योग	9.1303 है०	

सर्वे अभिन/ लेखपाल
ग्रेटर नौएडा

नायब तहसीलदार
ग्रेटर नौएडा

तहसीलदार
ग्रेटर नौएडा

विशेष कार्याधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

तहसीलदार
ग्रेटर नौएडा

उपजिलाधिकारी
पोखरा नुहा बजार

राजस्व ग्राम मकौड़ा, परगना -दादरी, तहसील - सदर जनपद-गौतमबुद्धनगर के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव की सूची ।
(शासन आदेश संख्या 1678/एक-1/2004-1-1 (10)/ 2002-15-रा0-1 दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के अनुसार
ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 (1) खण्ड 1,2,3)

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है० में	विवरण
गौतमबुद्धनगर	दादरी	सदर	मकौड़ा			
				32	0.1586	नवीन परती
				187	0.4566	नवीन परती
				219	0.1011	नवीन परती
				232	0.0992	नवीन परती
				281	0.2579	नवीन परती
				319	0.0506	खाद के गढ़दे
				341	0.0253	खाद के गढ़दे
				348	0.0253	खाद के गढ़दे
				385	0.0126	खाल निकालने का स्थान
				411	0.5602	नवीन परती
				428	0.1207	नवीन परती
				योग	1.8681 है०	

सर्वे अमीन/ लेखपाल
ग्रेटर नौएडा

नायब तहसीलदार
ग्रेटर नौएडा

तहसीलदार
ग्रेटर नौएडा

विशेष कार्याधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण